



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- [dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com](mailto:dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com) & [dfo-hazaribaghwest@gov.in](mailto:dfo-hazaribaghwest@gov.in)

पत्रांक : 3483

दिनांक: 29/09/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
हजारीबाग।

विषय:— सी0सी0एल0 की नॉर्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग परियोजना हेतु 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल के अन्तर्गत 8.27 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:— आपका ज्ञापांक 1565 दिनांक 13.09.2022 तथा परियोजना पदाधिकारी, नॉर्थ उरीमारी का पत्रांक 1742 दिनांक 14.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगीक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 2513 दिनांक 29.08.2022 द्वारा छ: बिन्दु पर किये गये पृच्छा की अध्यतन स्थिति निम्नवत है :-

क्र.सं.	Query	Compliance	DFO Comment
(क)	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में समक्ष स्तर से निर्गत NOC की प्रति।	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में समक्ष स्तर से NOC की प्रति छायाप्रती समर्पित की जा रही है। Annexure-1	उपायुक्त, हजारीबाग का ज्ञापांक 1990 दिनांक 18.10.2021 द्वारा जंगल-झाड़ी भूमि का सक्षम स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुलग्नक - 1 के रूप में संलग्न है।
(ख)	रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।	इसबिन्दु का जवाब वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ को दी जा रही है।	रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित है।
(ग)	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में FRA के तहतप्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही।	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में FRA के तहतप्रमाण पत्र निर्गत की छायाप्रती समर्पित की जा रही है। Annexure-2	उपायुक्त, हजारीबाग का ज्ञापांक 409 दिनांक 03.07.2021 द्वारा FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में हुई बैठक दिनांक 03.07.2021 की कार्रवाई की प्रति प्रमाण पत्र सहित अनुलग्नक - 2 के रूप में संलग्न है।
(घ)	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य।	इस सन्दर्भ में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के ज्ञापांक - 1054, दिनांक -29/08/2022ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को अनुपालन समर्पित किया जा चुका है। Annexure-3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के ज्ञापांक - 1054, दिनांक - 29/08/2022 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को अनुपालन समर्पित किया जा चुका है। अनुलग्नक -3 पर संलग्न है।

(ड.)	प्रस्ताव के पार्ट - II, Enumeration list आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित वृक्षों की संख्या में अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमंडल हजारीबाग, पश्चिमीके पार्ट -IIके online आवेदन में वर्णित वृक्षों की गणना 0 वर्णित है जो की मान्य है।पार्ट -II की छायाप्रती Annexure-4 के रूप में संलग्न की जा रही है।	प्रस्ताव के पार्ट - II में वृक्षों की संख्या शून्य दर्शाया गया है, जो सही है। अनुलग्नक -4 पर संलग्न है।
(च)	रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि के घनत्व के संबंध में पार्ट - II एवं आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र में अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	इसबिन्दु का जवाब वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ को दी जा रही है।	

अतः प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन 07 प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु-यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन प्रमंडल पदाधिकारी  
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

*20/11*

*0/14*